ऑन लाईन नं. GCMS 2024/210

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 18/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम, निवासी नरसिंहपुरा, तह. पदमपुर, जिला श्रीगंगानर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 कैनी, 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, दो लोहे की माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की, 01 हस्तचलित पम्प, 02 लोहे की कीप एवं 01 प्लास्टिक कीप को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी श्री मदनलाल उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 26.05.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21. 09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर व श्रीगंगानगर में स्थित दुकान पर पहुँचें। वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय **श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम, जाति जाट, निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर मोबाईल 97855—93183** श्रीगंगानगर होना बताया। वरवक्त मौका श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में पेट्रोल व डीजल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने उक्त 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब/राजस्थान के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं क विक्रय करना बताया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम से उक्त कैनी व प्लास्टिक ड्रमों में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, एवं 03 लोहे की कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के लीटर डीजल मय 01 कैनी, 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप एवं 01 कारण समस्त 85 लीटर पेट्रोल व 240 लोहे के माप क्षमता 05 लीटर व 10 प्लास्टिक कीप को को श्री अमरत्सिंह गटोरिया पुत्र श्री हजारीराम उम्र 56 साल जाति जाट पेशा अजय पेट्रोलिय पैट्रोल पम्प गणेशगढ़, बारानी की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके पर जब्त किये गये कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की. 01 हस्तचालित पम्प, एवं 02 लोहे की कीप एवं 01 प्लास्टिक कीप को राजसात करने का आदेश फरमायें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी वहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल का कोई अवैध बेचान नहीं किया जा रहा था। अवैध डीजल का भण्डारान कर अवैध बिकी का कार्य नहीं किया जाता था। अतः जब्तशुदा कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की. 01 हस्तचालित पम्प, एवं 02 लोहे की कीप एवं 01 प्लास्टिक कीप को प्रार्थी को वापिस दिया जाकर उक्त प्रकरण दाखिल दफतर किया जावें।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 21.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर व श्रीगंगानगर में स्थित दुकान पर पहुँचें। वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय **श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम, जाति जाट, निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर मोबाईल 97855–93183** श्रीगंगानगर होना बताया। वरवक्त मौका श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में पेट्रोल व डीजल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने उक्त 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब/राजस्थान के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं क विक्रय करना बताया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम से उक्त कैनी व प्लास्टिक ड्रमों में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, एवं 03 लोहे की कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के लीटर डीजल मय 01 कैनी, 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप एवं 01 कारण समस्त 85 लीटर पेट्रोल व 240 लोहे के माप क्षमता 05 लीटर व 10 प्लास्टिक कीप को को श्री अमरत्सिंह गटोरिया पुत्र श्री हजारीराम उम्र 56 साल जाति जाट पेशा अजय पेट्रोलिय पैट्रोल पम्प गणेशगढ़, बारानी की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके पर जब्त किये गये कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की. 01 हस्तचालित पम्प, एवं 02 लोहे की कीप एवं 01 प्लास्टिक कीप को राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 21.09.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की ब्रिकी की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ, नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर व श्रीगंगानगर में स्थित दुकान पर पहुँचें। वरवक्त मौका उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय **श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम, जाति जाट, निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर मोबाईल 97855–93183** श्रीगंगानगर होना बताया। वरवक्त मौका श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में पेट्रोल व डीजल भण्डारित पाया गया। वक्त पूछताछ श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने उक्त 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल होना बताया। वरवक्त पूछताछ मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब/राजस्थान के पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पेट्रोल क्रय कर लाना तथा उपभोक्तओं क विक्रय करना बताया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम से उक्त कैनी व प्लास्टिक ड्रमों में कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, एवं 03 लोहे की कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील प्रकृति होने के लीटर डीजल मय 01 कैनी, 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप एवं 01 कारण समस्त 85 लीटर पेट्रोल व 240 लोहे के माप क्षमता 05 लीटर व 10 प्लास्टिक कीप को को श्री अमरत्सिंह गटोरिया पुत्र श्री हजारीराम उम्र 56 साल जाति जाट पेशा अजय पेट्रोलिय पैट्रोल पम्प गणेशगढ़, बारानी की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार श्री मदनलाल पुत्र श्री नंदराम ने बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 (थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके पर जब्त किये गये कुल 35 लीटर पेट्रोल व 300 लीटर डीजल मय 01 प्लास्टिक कैनी व 02 बड़े प्लास्टिक के ड्रम, 02 माप क्षमता 05 लीटर व 10 लीटर की, 01 हस्तचालित पम्प एवं 02 लोहे की कीप एवं 01 प्लास्टिक कीप को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), श्रीगंगानगर
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर